

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-800015

कार्यालय आदेश.....120...../2026

सं0सं0 अ0नि0(02) 06/2026/नि0सं0

श्रीमती अंजलि मित, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, पटना को वित्त विभागीय अधिसूचना सं0 5059 दिनांक 16.06.2014 एवं अधिसूचना संख्या 640 दिनांक 19.01.2015 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 08.05.2026 से 03.11.2026 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अपने द्वितीय संतान के लिए मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ0नि0(02) 06/2026/नि0 सं0.....

दिनांक

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पटना/मुख्य अभियोजक, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती अंजलि मित, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ0नि0(02) 06/2026/नि0 सं0.....1583

दिनांक 19/6/26

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/6/26
उप सचिव।

Dr. Arun